Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to include the sub-castes of Nishad community including Gangota in the list of Scheduled Tribes.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो बिहार राज्य की निषाद जाति तथा उसकी उपजाति को अनुसूचति जाति में शामिल किए जाने से संबंधित है। वर्ष 2004 में निषाद समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति पर विचार करते हुए बिहार राज्य सरकार विधान सभा में एक प्रस्ताव लाई थी जो निषाद समुदाय की कुछ उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने से संबंधित था। इसे बिहार विधान सभा द्वारा पारित कर दिनांक 08.11.2004 को अन्य जातियों के साथ मल्लाह एवं बिन्द जाति की भी अनुशंसा कर भारत सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इथ्नोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट की मांग की गई थी, जिसे राज्य सरकार के निदेशानुसार ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना द्वारा 27 जिलों के सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ओआरजीआई द्वारा दस विवेचित बिन्दुओं पर कमेंट मांगे गए थे लेकिन तत्कालीन सरकार ने बिना अपने कमेंट्स के प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया। इस रिपोर्ट पर ओआरजीआई की असहमति के पश्चात भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। इस अस्वीकृति के पूर्व ही पुन: बिहार विधान सभा में वर्ष 2015 एक व्यक्तिगत आवेदन पर राज्य सरकार ने निषाद समुदाय की आठ उपजातियां मल्लाह, बिन्द, बेलदार, चाई, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपन एवं केवट सहित नोनिया जाति को भी एसटी में शामिल करने की अनुशंसा कर दी। इस अनुशंसा पर जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा पुन: इथ्नोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट की मांग की गई जिसे मात्र आठ जिलों में सर्वे के आधार पर इथ्नोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अप्रैल 2018 में बिहार सरकार को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट में निषाद समुदाय की आठ उप जातियों के साथ नोनिया जाति को भी उपजाति के रूप में एमेलगमेट कर दिया गया और इथ्नोग्राफिकल रिपोर्ट में पांच उपजातियां गंगोता, मोरियारी, कैवर्त और अन्य दो को छोड़ दिया गया। बिहार सरकार ने इथ्नोग्राफिकल सर्वे के आधार पर इन सभी आठ उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा भारत सरकार के पास भेजी है, जो कि अनुचित है। यह सभी उपजातियां एसटी की सूची में शामिल होने के लिए भारत सरकार की गाईडलाइन की अर्हताएं पूरी नहीं करती हैं। एसटी की सूची में शामिल होने के लिए पांच में से मात्र एक अर्हता पूरी करने के कारण यह प्रस्ताव स्वत: ही अस्वीकृत हो जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है।

अत: मेरी सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि एसटी में शामिल करने के प्रस्ताव को अमान्य कर वर्ष 2004 की अनुशंसा के आधार पर निषाद जाति तथा गंगोता सहित सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु आदेश जारी किया जाए जिससे निषाद समुदाय की सभी उपजातियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

माननीय अध्यक्ष :

श्री ओम बिरला को श्री शैलेश कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।